फर्द अहकाम

राजस्थान सरकार बनाम जयपुर विकास प्राधिकरण

त्र संख्या: 358/2024

दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
29.11.2024	तहसीलदार सांगानेर द्वारा प्रार्थना पत्र बावत् अन्तर्गत धारा 136 भू– राजस्व अधिनियम 1956 बावत तरमीम शुद्धि वाके ग्राम खटवाडा , पटवार हल्का महापुरा, भु– अभिलेख निरीक्षक भांकरोटा के आराजी खसरा नम्बरान 283 रकबा 0.9200 है0, 283 / 1 रकबा 0.0200 है0 की तरमीम शुद्ध किये जाने हेतु पेश किया । तहसीलदार सांगनेर की ओर से पेश प्रार्थना पत्र व जयपुर विकास प्राधिकारण जयपुर द्वारा प्रस्तूत रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। जयपुर विकास प्राधिकरण ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है कि सेज व सेज 200 फीट सम्पर्क सडक ग्राम महापुरा, नेवटा, खटवाडा, भांकरोटा, तहसील सांगानेर के भूमि के अवार्ड के मुकदमा नम्बर 1317 / 2005 के अनुसार ग्राम खटवाडा के खसरा नंबर 283 कुल रकबा 0.94 हैक्टेयर में से 0.92 हैक्टेयर भूमि अवाप्त की है शेष 0.02 हैक्टेयर खातेदार की बचती है। राजस्व जमाबन्दी में 0.92 गै मु. सडक जविप्रा के नाम हो गया तथा। 0.02 खातेदारों के नाम इन्द्राज हो गया किन्तु पी.टी. सर्वे के अनुसार नक्शे मे खसरा नंबर 283 का क्षेत्रफल 0.90 हैक्टेयर ही हो रहा है तथा खसरा नंबर 283 / 1 का क्षेत्रफल 0.04 हैक्टेयर हो रहा है। बहस प्रार्थी व पत्रावली में सलग्न दस्तावेजात का अवलोकन करने पर प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम खटवाडा , पटवार हल्का महापुरा, भु– अभिलेख निरीक्षक भांकरोटा के आराजी खसरा नम्बरान 283 रकबा 0.9200 है0, 283 / 1 रकबा 0.0200 है0 की तरमीम सलग्न दस्तावेजात व नक्शे/ पीटी सर्वे के अनुसार किये जाने के आदेश दिये जाते है । निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार सांगानेर को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो । उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	